To extend the area of MC

- *40 Sh. DHARAM SINGH CHHOKER (Samalkha): Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state:
 - a) whether it is a fact that the Durga Colony, New Durga Colony, Sita Ram Colony, back side area of Gandhi Colony and Vikas Nagar (Eastern Part), Tara Enclave, Mayur Vihar up to Pawati village, Pritampura near railway line, Shastri Colony, Chulkana road, Sanshi colony across the line, Hanuman Basti across the line, Bharat colony across the line, Rajasthan colony across the line, Rajeev Colony across the line, Charak Colony, Jaurasi road, Eastern part of Officer colony, Eastern part of Panchwati Colony and Shastri Colony near Bhapra village of Municipal Committee, Samalkha are not regular;
 - b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to extend the area of Municipal Committee, Samalkha so that the said colonies could be regularized; and
 - c) whether any announcement to extend the area of the city was made by the Hon'ble Chief Minister in the year 2017 which has not been completed so far; if so, the time by which the said announcement is likely to be completed?

DR. KAMAL GUPTA, URBAN LOCAL BODIES MINISTER, HARYANA.

Sir, a statement is laid on the table of the house.

Statement laid in Starred Question No. 40.

a) Out of the total 17 colonies, 8 colonies fall within the MC limit and out of which 6 colonies are notified as approved/declared area and 2 colonies are under consideration. Hence, 9 colonies mentioned in the question fall outside the MC limit, out of which 3 colonies are notified as declared area and rest 6 colonies under consideration as per following details:

Sr.	Colonies name	Whether	Approved
no.		falls	or
		within MC	Un-
		Limit or	approved
		Not	as declared
			area
1.	Durga Colony	Yes	Approved
2.	New Durga Colony	Yes	Approved
3.	Sita Ram Colony	Yes	Approved
4.	Back side area of Gandhi Colony	No	Un-approved
	and Vikas Nagar (Eastern Part)		
5.	Tara Enclave	No	Approved
6.	Mayur Vihar up to Pawati village	No	Approved
7.	Pritampura near railway line	No	Un-approved
8.	Shastri Colony Chulkana road	No	Approved
9.	Sanshi colony across the line	No	Un-approved
10.	Hanuman Basti across the line	Yes	Approved
11.	Bharat colony across the line	No	Un-approved
12.	Rajasthan colony across the line	Yes	Approved
13.	Rajeev Colony across the line	Yes	Approved
14.	Charak Colony Jaurasi road	No	Un-approved
15.	Eastern part of Officer colony	No	Un-approved
16.	Eastern part of Panchwati	Yes	Un-approved
	Colony		
17.	Shastri Colony near Bhapra	Yes	Un-approved
	village		

b) Yes sir, there is a proposal under consideration to extend the limits of Municipal Committee, Samalkha. After the extension of the municipal limit, the colonies falling within the limit of Municipal

Committee may be notified as declared area under the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Act, 2016 amended in 2021, if the colonies fulfill the policy parameters.

c) The CM Announcement to extend the area of Municipal Committee, Samalkha was made on 02.02.2019 vide Code No. 24777. The said announcement is likely to be completed within next six months.

नगरपालिका के क्षेत्र को बढ़ाना

*40 श्री धर्मसिंह छोकर (समालखा)ः

क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे-

- (क) क्या यह तथ्य है कि नगरपालिका, समालखा के दुर्गा कॉलोनी, नई दुर्गा कॉलोनी, सीताराम कॉलानी, गांधी कॉलानी तथा विकास नगर (पूर्वी हिस्सा) के पीछे का क्षेत्र, तारा एनक्लेव, मयूर विहार से पवाती गांव तक, प्रीतमपुरा नजदीक रेलवे लाइन, शास्त्री कॉलोनी, चुलकाना सड़क, लाईन पार सांशी कॉलोनी, लाईन पार हनुमान बस्ती, लाईन पार भारत कॉलोनी, लाईन पार राजस्थान कॉलोनी, लाईन पार राजीव कॉलोनी, चरक कॉलोनी, जौरासी रोड़, ऑफिसर कॉलोनी का पूर्वी हिस्सा, पंचवटी कॉलोनी का पूर्वी हिस्सा, शास्त्री कॉलोनी नजदीक भापरा गांव नियमित नहीं है:
- (ख) यदि हां, तो क्या नगर पालिका, समालखा का क्षेत्र को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि उक्त कॉलोनियां नियमित हो सकें; तथा
- (ग) क्या वर्ष 2017 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शहर के क्षेत्र को बढ़ाने की घोषणा की गई थी जो कि अब तक पूरी नहीं की गई; यदि हां, तो उक्त घोषणा के कब तक पूरा किये जाने की संभावना है ?

डॉ कमल गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री,

श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

तारांकित प्रशन संख्या ४०, अगस्त २०२३, का विवरण

क) कुल 17 कॉलोनियों में से 8 कॉलोनियां नगरपालिका के अंतर्गत आती है और जिनमें से 6 कॉलोनियां को अनुमोदित / घोषित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है और 2 कॉलोनियां विचाराधीन है। एवम्, प्रश्न में वर्णित 9 कॉलानियां नगरपालिका सीमा से बाहर पड़ती है, जिनमें से 3 कॉलोनियों को घोषित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है और शेष 6 कॉलोनियां विचाराधीन है उपरोक्त बारे विवरण निम्नलिखित है;

क0सं0	कॉलोनियों का नाम	नगरपालिका	स्वीकृत या
		सीमा के अतंर्गत	अस्वीकृत घोषित
		आता है या नहीं	क्षेत्र के रूप में
1.	दुर्गा कॉलोनी	हां	स्वीकृत
2.	नई दुर्गा कॉलोनी	हां	स्वीकृत
3.	सीताराम कॉलानी	हां	स्वीकृत
4.	गांधी कॉलानी तथा विकास नगर (पूर्वी	नहीं	अस्वीकृत
	हिस्सा) के पीछे का क्षेत्र		
5.	तारा एनक्लेव	नहीं	स्वीकृत
6.	मयूर विहार से पवाती गांव तक	नहीं	स्वीकृत
7.	प्रीतमपुरा नजदीक रेलवे लाइन	नहीं	अस्वीकृत
8.	शास्त्री कॉलोनी चुलकाना सड़क	नहीं	स्वीकृत
9.	लाईन पार सांशी कॉलोनी	नहीं	अस्वीकृत
10.	लाईन पार हनुमान बस्ती	हां	स्वीकृत
11.	लाईन पार भारत कॉलोनी	नहीं	अस्वीकृत
12.	लाईन पार राजस्थान कॉलोनी	हां	स्वीकृत
13.	लाईन पार राजीव कॉलोनी	हां	स्वीकृत
14.	चरक कॉलोनी जौरासी रोड	नहीं	अस्वीकृत
15.	ऑफिसर कॉलोनी का पूर्वी हिस्सा	नहीं	अस्वीकृत
16.	पंचवटी कॉलोनी का पूर्वी हिस्सा	हां	अस्वीकृत
17.	शास्त्री कॉलोनी नजदीक भापरा गांव	हां	अस्वीकृत

ख) हां श्रीमान, नगर पालिका समालखा की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। नगरपालिका सीमा के विस्तार के बाद, नगरपालिका समिति की सीमा के भीतर आने वाली कॉलोनियों को 2021 में संशोधित हरियाणा नगरपालिका अपूर्ण क्षेत्रों में नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबंध) अधिनियम 2016 के तहत घोषित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है यदि कॉलोनियां नीति के प्रावधानों को पूरा करती है।

ग) माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा, संख्या 24777 दिनांक 02.02.2019 द्वारा नगरपालिका समिति, समालखा के क्षेत्र के विस्तार हेतु हुई थी। उक्त घोषणा अगले छह महीनों के भीतर पूरी होने की सभांवना है।